# सपा और कांग्रेस जिन्ना के उपासक : योगी

## जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों के हौसले पस्त : योगी आदित्यनाथ

▸ **जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के हौसले पस्त**

**बिजनौर, 17 जुलाई. देश और प्रदेश में डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के हौसले पस्त हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने तूफानी दौरे के दौरान शामली के बाद बिजनौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही.**

मुख्यमंत्री ने महात्मा विदुर की पावन धरती बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जिले को प्रगति की नई रफ्तार दी.इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को समाज में दंगा कराने के लिए सपा और कांग्रेस जिन्ना के उपासक हैं, जबकि हमारी सरकार को किसानों की समृद्धि के लिए गन्ना पसंद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का एजेंडा समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, एकता को मजबूत करना और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की कानून-व्यवस्था में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले बिजनौर में अपराध और माफिया का दबदबा था.

> मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के अन्नदाता किसानों, युवाओं, व्यापारियों और कारीगरों की सराहना करते हुए कहा कि बिजनौर की समृद्धि इन्हीं की मेहनत का परिणाम है. किसानों और आमजन के हितों को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रु. प्रति क्विंटल कर दिया है.

## अनुराग कुमार ने दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त पद की कमान संभाली

**नई दिल्ली, 17 जुलाई.** भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार ने शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया. उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा से पदभार ग्रहण किया. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश के जारी करके कहा कि अरूणाचल प्रदेश-गोवा-

## कोरोना की दस्तक : आंध्र के कडप्पा में कोरोना से 4 की मौत

**अमरावती, 17 जुलाई।** आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में जून से अब तक कोरोना संक्रमण के 13 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 8 मामले कडप्पा जिले में दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा तीन मामले गुंटूर, एक विशाखापट्टनम और एक काकीनाडा जिले में मिला है। राज्य में अब तक चार संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन मरीजों की मौत हुई, वे पहले से गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित थे। वर्तमान में दो कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती होकर उपचाराधीन हैं, जबकि कई संक्रमितों को चिकित्सकीय निगरानी में होम आइसोलेशन में रखा गया है। कृष्णा जिले की एक महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई .

## आज का इतिहास

1630- स्पेन के सैनिकों ने इटली के मंतुआ प्रांत पर कब्जा किया.

1857- बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना.

1918- नोबेल पुरस्कार सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म.

1927- प्रसिद्ध ग़ज़ल गायक मेहदी हसन का जन्म.

1947- भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली.

1948- भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में एक पीरू सिंह का निधन.

## महाराष्ट्र विधानसभा ने डिजिटल विधानमंडल की ओर बढ़ाया कदम

**नई दिल्ली.** महाराष्ट्र विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस संबंध में 16 जुलाई को मुंबई स्थित विधानसभा भवन में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग और महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की. संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव एवं नेवा मिशन लीडर डॉ. सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव-प्रथम जितेंद्र भोले, सचिव-चतुर्थ सुदर्शन साठे, संसदीय कार्य विभाग की सचिव सुप्रिया धिवरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

# संघ के लिए हिंदू धार्मिक ही नहीं जीवन पद्धति का प्रतीक :राजनाथ

▸ **सार्वजनिक विमर्श पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री ने कहा-गलत नैरेटिव किया गया तैयार**

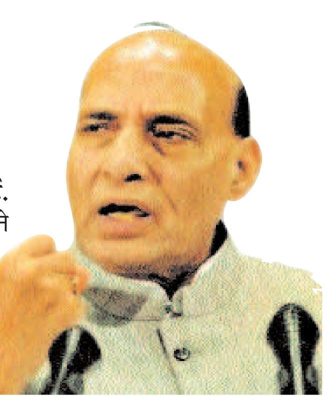

**नई दिल्ली, 17 जुलाई.** केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर बनाए गए सार्वजनिक विमर्श पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संगठन के बारे में यह धारणा बनाई गई है कि वह हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, जबकि संघ के लिए हिंदू कोई धार्मिक पहचान नहीं है. उन्होंने कहा कि आरएसएस की दृष्टि में हिंदू शब्द स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित एक व्यापक जीवन पद्धति और महान सोच का प्रतीक है. नई दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आरएसएस के इर्द-गिर्द ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया है, जिससे संगठन की विचारधारा को लेकर भ्रम पैदा हुआ है. उन्होंने कहा कि संघ के संदर्भ में हिंदू शब्द को केवल धार्मिक पहचान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़कर समझने की आवश्यकता है. राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आरएसएस की अवधारणा में हिंदू का अर्थ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है. उनके अनुसार, यह शब्द एक ऐसी विचारधारा और जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका संबंध व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है.

> राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से लेकर अब तक के 100 वर्षों की यात्रा, संगठन की गतिविधियों, राष्ट्र सेवा, सामाजिक एकता और स्वयंसेवकों के योगदान का उल्लेख किया गया है. पुस्तक का लेखन श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने किया है. पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राजनीति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष, उसके कार्यों और सामाजिक योगदान से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई. रक्षा मंत्री का यह बयान पुस्तक विमोचन समारोह में दिए गए उनके संबोधन का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने आरएसएस की विचारधारा और उससे जुड़े सार्वजनिक विमर्श पर अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम में पुस्तक के माध्यम से संघ की 100 वर्षों की यात्रा और विभिन्न क्षेत्रों में उसके कार्यों को भी रेखांकित किया गया.

## न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक-109)

क्रमांक / 831 / अकरी - 4 / 2026 — प्रकरण क्रमांक / /ब-121/2026-27

इन्दौर दिनांक 15/07/2026

**विज्ञप्ति प्रकाशन**

प्रति,
1. सचिन छपरवाल
2. मेहा छपरवाल

पता: 1 फ्लेट नं 206 बालाजी रीजेंसी ब्लाक- बी, एस, नं 515 / 1/2 गाँव सिरपुर इंदौर 452012
पता -2 : 1375- बी स्कीम नं 71 सुदामा नगर इंदौर म.प्र.
पता -3 श्री माहेश्वरी ट्रेडर्स 19-20 पोद्दार, वि आई पी रुठ नं 1, न्यूसियागंज इंदौर म.प्र. 452003
द्वारा:- तहसील / सांवेर, राऊ/ पंजीकृत डाक/ समाचार, विज्ञप्ति

--00--

प्राथी प्राधिकृत अधिकारी एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति फ्लेट नं 206 बालाजी रीजेंसी ब्लाक - बी, एस, नं 515 / 1/2 गाँव सिरपुर इंदौर 452001 पर बकाया ऋण राशि रु **6,19,827+/-. +** ब्याज व अन्य खर्चे का चुकारा आपके द्वारा नही किया गया। ओर न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौपा गया है । अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एव पुर्नगठन ओर प्रतिभूतहित प्रवतन अधिनियम कि धारा 14 मे प्रतिभूति के रूप मे रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध मे एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले कि सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर (कक्ष क्रमांक - 109 मे **दिनांक 22-07-2026 को दोपहर 02:00** बजे होगी।) आप प्रकरण के संबंध मे समस्त दस्तावेज़ व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति कि दशा मे प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय)
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर (म.प्र). जिला इंदौर

## कार्यालय अधीक्षक शहीद जननायक टंट्या भील जिला जेल खण्डवा (म.प्र.)

e-mail id :- dcjailkhandwa@gmail.com & jailknwbs@gmail.com Phone & Fax No. 0733-2224172

क्र. 1236 / निर्वाह / 2026 — खण्डवा, दिनांक 17/07/2026

**ई - टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना**

समस्त पंजीकृत एंव प्रतिष्ठत फर्मो को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 मे जिला जेल खण्डवा मे पदस्थ जेल अधीक्षक के उपयोग हेतु किराए से वाहन लिए जाने के लिए ई-निविदा वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर निविदाएं आमंत्रित की जानी है । निविदा की जानकारी वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | विवरण | दिनांक व समय | स्थान |
|---|---|---|---|
| 01 | प्री-बीड मीटिंग | 24/07/2026 प्रातः 11.00 बजे | कार्यालय अधीक्षक जिला जेल खण्डवा |
| 02 | निविदा फॉर्म कय करने की अंतिम तिथि | 05/08/2026 शाम 17.00 बजे तक | वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर कय किए जा सकेंगे। |
| 03 | निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 05/08/2026 शाम 17.00 बजे तक | वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। |
| 04 | तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) खोलने तिथि | 07/08/2026 दोपहर 12.00 बजे | अधीक्षक जिला जेल खण्डवा कार्यालय में जिसमे निविदा प्रस्तुत की गई है। |
| 05 | वित्तीय निविदा खोलने की तिथि | 07/08/2026 शाम 17.00 बजे | अधीक्षक जिला जेल खण्डवा कार्यालय में जिसमे निविदा प्रस्तुत की गई है। |

निविदा में किया गया कोई भी संशोधन ई-निविदा वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जाएगा। जिसकी सूचना जिला जेल खण्डवा के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। निविदा संबंधित समस्त कार्रवाही जेल अधीक्षक जिला जेल खण्डवा द्वारा की जाएगी।

G15831/26 — जेल अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा म.प्र.

## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

**कार्पोरेट कार्यालय :** ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
**धार शाखा :** प्लॉट नंबर 70, प्रथम मंजिल, त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड, जिला धार- 454001 (मध्य प्रदेश)
**इंदौर शाखा :** प्लॉट नंबर 4 एवं 5, शॉप नंबर 105, 107, 109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया चौराहा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001
**इंदौर वूमन शाखा :** 104, प्रथम मंजिल, ओम गुरुदेव प्लाज़ा, योजना नंबर 54, विजय नगर, गिरधर महल के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश
**रतलाम शाखा :** ग्राउण्ड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम- 457001 (मध्य प्रदेश)
**उज्जैन शाखा :** 06 / प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन- 456010

### मांग सूचना

**सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना**

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

| क्रं. | उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम | मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि | प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां) |
|---|---|---|---|
| 1 | (लोन कोड नं. 06800000311 / धार शाखा) राहुल दास (ऋणी) सीमा राहुल एवं कमला बाई रमेशदास (सह-ऋणी) रमेश दास (जमानतदार) | 07-07-2026 & ₹ 10,71,579/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग,ग्राम दसई, पंचायत हाउस नं. 184, वार्ड नं. 01, कुमहपाट तहसील सरदारपुर जिला धार, धार मध्यप्रदेश-454441 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः गली, पश्चिमः लाबरिया रोड, उत्तरः शांतिलाल टेलर का मकान, दक्षिणः चमींदत पिता मांगीलाल भील का मकान |
| 2 | (लोन कोड नं.06810000178 / धार शाखा) जावेद (ऋणी) सायना बी एवं सुभान (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 11,42,143/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग,प.ह.न. 257, ग्राउंड फ्लोर, मकान नं. 30, ग्राम गवाला, वार्ड नं. 10, गवाला धार मध्यप्रदेश-454001 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः ताज मोहम्मद का मकान, पश्चिमः उस्मान का मकान, उत्तरः प्रधानमंत्री रोड, दक्षिणः कॉमन रोड |
| 3 | (लोन कोड नं. 00310001822/ इन्दौर शाखा) राहुल शर्मा (ऋणी) जयश्री शर्मा (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 10,30,160/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, फ्लैट नं. जी-01, ग्राउंड फ्लोर, ज्ञानशिला होम्स-डेसी स्पेस एबी रोड से अंदर, धाबली, इन्दौर, म.प्र.-453771 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः फ्लैट नं. जी-2 ब्लॉक एफ, पश्चिमः अन्य प्लॉट, उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः सीढ़ी एवं कॉमन पैसेज |
| 4 | (लोन कोड नं. 00310001608/ इन्दौर शाखा) आदित्य मालवीय (ऋणी) पुष्पा बाई (सह-ऋणी) प्रियंका श्रोतिया (जमानतदार) | 10-07-2026 & ₹ 12,78,631/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, फ्लैट नं. 302, तीसरी मंजिल, वृन्दावन धाम- श्री कृष्ण एवेन्यू फेस - 3, खंडवा रोड से अंदर, वार्ड नं. 77, प्लॉट नं. 28, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452020 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः फ्लैट नं. 305, पश्चिमः प्लॉट नं. 27, उत्तरः फ्लैट नं. 303, दक्षिणः फ्लैट नं. 301 |
| 5 | (लोन कोड नं. 54510000091/ इन्दौर डायरेक्ट शाखा) शेरु खान (ऋणी) अंजुम बी एवं साहिल खान (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 55,11,325/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, जीएफ एफएफ एवं एसएफ गफूरखान की बाजारिया नेताजी सुभाषचंद्र रोड के अंदर, एमपीएल प्लॉट नं. 04, पुराना, न्यू 41 पैकि इन्दौर, म.प्र.-452002 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः 2.6 वाय 24 फीट की खुली भूमि जो राजा कॉम्पलेक्स के स्वामित्व में है, पश्चिमः रोड, उत्तरः मोह. फारुक का मकान, दक्षिणः मोहम्मदी बिल्डिंग |
| 6 | (लोन कोड नं. 76910000028/ इन्दौर वुमन शाखा) सौरभ पटेल (ऋणी) मंजू बाई (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 12,26,626/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, फ्लैट नं. 201, द्वितीय मंजिल, गजानन चौराहा, श्री यंता नगर खंडवा मैन रोड के अंदर, ब्लॉक सेक्शन बी, 142 एवं 143 बिलावली इन्दौर, म.प्र.-452020 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः पैसेज, उत्तरः सीढ़ियाँ एवं फ्लैट नं. 206, दक्षिणः रोड |
| 7 | (लोन कोड नं. 02200000375/ रतलाम शाखा) मोह. शकील (ऋणी) स्व. शाहीन बी (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (सह-ऋणी) | 07-07-2026 & ₹ 11,11,557/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं. 150/5, पैकि प्लॉट नं. 203 का पूर्वी भाग, मोहन नगर के पास, कॉमर्स कॉलेज रोड, ग्राम विरयाखेड़ी, रतलाम, म.प्र.-457001 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः प्लॉट नं. 202 का भाग, पश्चिमः प्लॉट नं. 203 का शेष भाग, उत्तरः गली, दक्षिणः रोड |
| 8 | (लोन कोड नं. 02210000319/ रतलाम शाखा) मनी (ऋणी) बूमिका (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 10,23,256/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं. 272/1/1/, 272/1/2 एवं 272/1/3, फ्लैट नं. 349, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सम्यक रेसीडेंसी, वार्ड नं. 29, रतलाम, म.प्र.-457001 **चर्तु:सीमा:** पूर्वःखुला आसमान, पश्चिमः फ्लैट नं. 354, उत्तरः खुला आसमान, दक्षिणः कॉमन पैसेज |
| 9 | (लोन कोड नं. 02010001077/ उज्जैन शाखा) गोविंद सिंह (ऋणी) तेजु सिंह (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 11,07,539/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं. 1741/3/1/1, प.ह.नं. 26, माकडोन रोड नांदेड, प्लॉट नं. 63, नांदेड तहसील माकडोन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश-456668 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः कैलाश प्रजापत का प्लॉट, पश्चिमः राजेन्द्र सिंह का मकान, उत्तरः खुली जगह, दक्षिणः रोड |
| 10 | (लोन कोड नं. 02010001591/ उज्जैन शाखा) मोहम्मद इब्राहिम खान (ऋणी) हमीदा बी (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 13,03,170/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ, मकान नं. 4/1, गांधी नगर आगर रोड, इन्द्रा नगर रोड के अंदर, वार्ड नं. 06, उज्जैन, म.प्र.-456001 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः बलराम सत्यनारायण की भूमि, उत्तरः नारायण की भूमि, दक्षिणः गुड्डी का मकान |
| 11 | (लोन कोड नं. 02010001047/ उज्जैन शाखा) हरिदास (ऋणी) संगीता (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 13,48,678/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, प.ह.नं. 70, तराना रोड प्लॉट नं. 135, ग्राम गुडराडिया गुर्जर, तहसील घाटिया, जिला उज्जैन, उज्जैन, म.प्र.-456550 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः शामलीअती रास्ता एवं गोपाल दास का मकान, पश्चिमः धर्मेन्द्र दास का मकान, उत्तरः गोकुल दास का मकान, दक्षिणः धर्मेन्द्र दास का मकान |
| 12 | (लोन कोड नं. 02010001038/ उज्जैन शाखा) राहुल (ऋणी) आरती सूर्यवंशी (सह-ऋणी) | 10-07-2026 & ₹ 13,80,889/- | संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, सर्वे नं. 160/1 मिन 6 एवं एफएफ मकान नं. 7, मक्सी रोड पनवासा वार्ड नं. 40, प्लॉट नं. 26, उज्जैन, म.प्र.-456010 **चर्तु:सीमा:** पूर्वः प्लॉट नं. 25, पश्चिमः प्लॉट नं. 03,04,05 एवं 06, उत्तरः प्लॉट नं. 02, दक्षिणः रोड |

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी

## कार्यालय नगर पालिका निगम, देवास (म.प्र.)

क्रमांक 85 / विद्युत / 2026 — देवास, दिनांक 14/07/2026

**/ / द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //**

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

| क्र. | टेन्डर क्रमांक जारी दिनांक | कार्य का नाम | कार्य की समयावधि एवं लागत | निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD | निविदा की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026_UAD_ 521151_1 14/07/2026 | Comprehensive AMC of Traffic Signal Systems at 4 identified junctions in Dewas for two years. | 1. दो वर्ष (24 माह) 2 रू. 15,50,400.00 | 1. 2,000.00 2. 46,512/- | 28/07/2026 06:00 PM |

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

## कार्यालय कलेक्टर (खनि - शाखा) जिला - खरगोन (म. प्र. )

क्रमांक / 824 / खनिज / 26 — खरगोन, दिनांक 14/07/ 2026

**म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1- क) के अंतर्गत उत्खनिपटा प्राप्त करने के लिए,**

**द्वितीय सूचना**

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री रितीक पिता नवीन कुमार अग्रवाल निवासी- मण्डलेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04/06/2026 को प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना कमांक 481 दिनांक 09.06.2026 से प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर पुनः दिनांक 30/07/2026 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेगे।

**आवेदन का संक्षिप्त विवरण**

| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | भूमि का प्रकार | खनिज का नाम | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खरगौन | महेश्वर | चिन्दडिया | 50/1/2 (एस) | 2.000 है0 | शासकीय भूमि | पत्थर गिट्टी तथा एम सेण्ड का उत्खनिपट्टा | - |

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र मे आवेदित क्षेत्र के संबंध मे अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सांय 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाये जाते है ।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रथम सूचना से प्राप्त आवेदन को शामिल करते हुये 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आथय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति मे उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उपरोक्त अवधि मे प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि मे अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होतो है तो प्रथम आवेदक के पक्ष मे नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार मे नहीं लिया जाएगा।

G15773/26 — प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला खरगोन (म.प्र.)

## कार्यालय कलेक्टर (खनि-शाखा) जिला - खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक / 827 / खनिज / 26 — खरगोन, दिनांक 14/07/2026

**म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 ( 1- क) के अंतर्गत उत्खनिपटदा प्राप्त करने के लिए,**

**द्वितीय सूचना**

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री वसीम खॉन निवासी ग्राम बालसमुद तहसील कसरावद जिला खरगोन ( म.प्र.) द्वारा उत्खनिपटा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 03/06/2026 को प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क्रमांक 474 दिनांक 10.06.2026 से प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर पुनः दिनांक 30/07/2026 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपटट् आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेगे।

**आवेदन का संक्षिप्त विवरण**

| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | भूमि का प्रकार | खनिज का नाम | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खरगौन | कसरावद | बालसमुद | 232 (एस) | 4.000 है0 | शासकीय भूमि | पत्थर गिट्टी तथा एम सेण्ड का उत्खनिपट्टा | - |

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र मे आवेदित क्षेत्र के संबंध मे अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सांय 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाये जाते है ।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रथम सूचना से प्राप्त आवेदन को शामिल करते हुये 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आथय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति मे उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उपरोक्त अवधि मे प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को मप्र गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि मे अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही होतो है तो प्रथम आवेदक के पक्ष मे नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार मे नही लिया जाएगा।

G15774/26 — प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला खरगोन (म.प्र.)

## कार्यालय जेल अधीक्षक, शहीद जननायक टंट्या भील, जिला जेल खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक 1226 / निर्वाह /2026 — खण्डवा, दिनांक 17/07/2026

**-:: वार्षिक ई - निविदा सूचना :: -**

**वित्तीय वर्ष 2026-27**

मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के अधीन जिला जेल खण्डवा के लिए वर्ष 2026-27 मे खाद्यान्न, सब्जी एवं विविध सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वार्षिक ई निविदा विज्ञप्ति निम्नानुसार जारी की जाती है।

**निविदा कार्यक्रम का विवरण**

| क्र. | विवरण | दिनांक / समय | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | प्री - बिड मिटिंग | 24/07/2026 दोपहर 11:00 बजे | जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल खण्डवा |
| 2. | ई-निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि | 05/08/2026 शाम 17:00 बजे तक | वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन क्रय किए जा सकेगें। |
| 3. | ई निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 05/08/2026 शाम 17:00 बजे तक | वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी। |
| 4. | नमूने जमा करने की अंतिम तिथि | 05/08/2026 शाम 17:00 बजे तक | जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल खण्डवा |
| 5. | नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण की तिथि | 07/08/2026 दोपहर 12:00 बजे | जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल खण्डवा |
| 6. | तकनीकी ई - निविदा खोलने की तिथि | 07/08/2026 दोपहर 01:00 बजे | जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल खण्डवा |
| 7. | वित्तीय ई - निविदा खोलने की तिथि | 07/08/2026 शाम 17:00 बजे | जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल खण्डवा |

निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा मे किया गया कोई भी संशोधन वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जावेगा, जिसकी सूचना जिला जेल खण्डवा के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी ।

G15832/26 — जेल अधीक्षक, जिला जेल खण्डवा, (मध्यप्रदेश)